सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 95 / 2016 अपील (RCMS/2016/00018)
पंजीयन दिनांक — 10.10.2016
निर्णय दिनांक — 19.06.2018

1. श्री भग्गा पिता डालू भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. श्री हिमा पिता डालू भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. श्री सोहनलाल पिता डालू भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. श्री परता पिता भूरा भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
5. श्री अम्बालाल पिता भूरा भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
6. श्री कैलाश पिता भूरा भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
7. श्रीमती नारूबाई पुत्री भूरा भील पत्नि वरदा भील, निवासी पसुन्द, तहसील व जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती फुलीबाई पुत्री भूरा भील पत्नि गंगा भील, निवासी मादडी देवस्थान, तहसील व जिला राजसमन्द।
9. श्रीमती अण्छीबाई पुत्री भूरा भील, निवासी पसुन्द, तहसील व जिला राजसमन्द।
10. श्रीमती ऐजीबाई पुत्री भूरा भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।

अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती जवेरी बाई तथाकथित पत्नि स्व. जालम भील, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. ग्राम पंचायत केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री परमेश्वर पंड्या — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द प्रकरण संख्या 07/2014 दिनांक 08.07.2016

निर्णय

दिनांक 19.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द प्रकरण संख्या 07/2014 दिनांक 08.07.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण सं. 1208 दिनांक 08.06.1989 के विरूद्ध पेश की जिसके अनुसार वह मृतक श्री जालम भील निवासी केलवा की पत्नि है। जालम भील की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा केवल रूपली बेवा डालू, भग्गा, हिमा पिता जालम, सोहन पिता जालम नाबा बलवायात माता रूपली भील के नाम दर्ज किया गया। जालम के दो लड़के डालु व भुरा है और तीसरा वारीस श्रीमती जवेरी बाई है, जिसका नाम ग्राम पंचायत द्वारा नहीं जोड़कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलान्ट को उक्त भूमि के 1/3 हिस्से के रूप में जोड़ने बाबत अधीनस्थ न्यायायल में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत आयोजित फॉलोअप कैम्प केलवा में श्रीमती जवेरी बाई की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1208 दिनांक 08.06.2018 को निरस्त कर तहसीलदार, राजसमन्द को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश जारी किया कि मृतक स्व. श्री जालम के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित एवं रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 12.06.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि मौजा केलवा में आराजी नम्बर 2275 से 2278 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा जमीन स्थित है। इसमें जालम जी का सम्पूर्ण हिस्सा था। आराजी 2242, 2251 से 2260, 2264 से 2271 एवं 2273 कुल किता 20 कुल रकबा 19 बीघा जमीन है जिसमें जालम का 1/4 हिस्सा था। श्री जालम के एक पत्नि हीरकी एवं दो पुत्र डालू एवं भूरा हुए एवं जालम के

देहान्त के समय उसकी विवाहिता पत्नी हीरकी का देहान्त हो चुका था एवं उसके दो पुत्र डालू व भूरा के नाम दिनांक 08.06.1989 को नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध लगभग 25 साल बाद मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने आपको जालम की पत्नी बताकर अपील पेश की एवं अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस तामिल होने के बाद मौजुदा अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 15.02.2016 को अण्डरटेकिंग पेश की एवं आयन्दा पेशी दिनांक 29.03.2016 को रूपली की मृत्यु होने की जानकारी वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया एवं कायम मुकाम कराने के लिए समय चाहने पर पेशी दिनांक 17.05.2016 की दी गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत आयोजित फॉलोअप कैम्प केलवा में श्रीमती जवेरी बाई की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1208 दिनांक 08.06.2018 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जो अपीलान्ट के पीठ पीछे एवं एकतरफा पारित किया गया। उक्त निर्णय की दिनांक 24.08.2016 को प्रथम बार जानकारी होने उपरान्त नकल प्राप्त होते ही विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई। कैम्प कोर्ट केलवा में प्रकरण को रख अपीलान्ट को बिना सूचित किए व सुने बिना नामान्तरकरण निरस्त किया वह प्राकृतिक न्याय व विधि के विपरित होने से स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने के लिये धारा 96 जा.दी. के तहत अपील पेश करने की स्वीकृति ली जानी थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 का जालम से कोई कानूनी संबंध नहीं था। जालम की विवाहित पत्नी तो हिरकी थी एवं उसके नुत्फे से डालू व भूरा का जन्म हुआ था। रेस्पोडेंट संख्या 1 जवेरी बाई से जालम ने कभी भी शादी नहीं की थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार के आधार पर खुले नामान्तरकरण को बिना किसी आधार के 25 वर्षों बाद निरस्त करने के आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के हैं। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने बाबत अनुरोध किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। जैसाकि प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि स्व. जालम की मृत्यु के उपरान्त जो नामान्तकरण खोला गया वह केवल उसके पुत्रों के नाम से स्वीकृत किया गया। नामान्तकरण में श्रीमती जवेरी बाई, पत्नि का नाम नहीं जोड़ा गया। ग्राम पंचायत द्वार मृतक जालम के विधिक वारिसान की जांच किये बगैर नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने की विधिक भूल किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित नामान्तकरण संख्या 1208 दिनांक 08.06.1989 निरस्त किया

गया और प्रकरण पुनः तहसीलदार, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर मृतक स्व. जालम के वारिसान की विधिक जांच कर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही बाबत निर्णय दिनांक 08.07.2016 पारित किया गया। निर्णय दिनांक 08.07.2016 में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर